



# भारतीय मानक ब्यूरो उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

## निविदा दस्तावेज TENDER DOCUMENT

प्लॉट संख्या 4-A, सैक्टर 27-बी, चंडीगढ़ में स्थित ब्यूरो कार्यालय में लेखा सेवाएं तथा कर परामर्श हेतु प्रदान करने के लिए एक एजेंसी की नियुक्ति।

*Appointment of an Agency for hiring Accounting Services and Tax Consultancy in Plot No. 4-A, Sector 27-B, Madhya Marg, Chandigarh - 160 019*

जारीकर्ता/Issued by

उपमहानिदेशक [उत्तर]/ DDG [North]

भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट संख्या 4-A, सैक्टर 27-बी, चंडीगढ़ 160019 /

Bureau of Indian Standards, Plot No. 4-A,  
Sector 27-B, Madhya Marg, Chandigarh - 160 019

E-mail ID: [ddgn@bis.gov.in](mailto:ddgn@bis.gov.in)



## निविदा सूचना TENDER NOTICE

Ref: NITS/ADMN/1:7/2020

Annexure -I

### TERMS & CONDITIONS नियम एवं शर्तें

1. भारतीय मानकों के ब्यूरो [ब्यूरो] - प्लॉट संख्या 4-A, सैक्टर 27-बी, चंडीगढ़ में स्थित अपने कार्यालय के लिए निविदा दस्तावेज की अनुलग्नक III में निर्दिष्ट **लेखा सेवाएं तथा कर परामर्श** प्रदान करने के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत योग्य और योग्य बोलीदाताओं / इच्छुक पार्टियों / खानपान सेवा प्रदाताओं से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करती है। Bureau of Indian Standards [BUREAU] invites online bids from eligible and qualified bidders/interested parties/ **Accounting Services and Tax Consultancy** providers, under the two-bid system (Technical and Financial bid) for providing **Accounting and Tax Consultancy Services** as specified in the Annexure III of the Tender Document.
2. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के नाम से दोनों बोलियों को अलग-अलग लिफाफे में मुहर बंद होना चाहिए और इन दोनों लिफाफे को "**लेखा सेवाएं तथा कर परामर्श प्रदान करने हेतु निविदा**" को एक तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए। और उपमहानिदेशक (उत्तर), भारतीय मानक ब्यूरो के नाम पर हाथों-हाथ या पोस्ट या कोरियर द्वारा नियत तिथि तक वितरित किया जाना चाहिए और बिना मुहर के बोली दस्तावेज़ किसी भी स्थिति में नहीं खोली जाएगी। The technical bid and the financial bid must be sealed in separate envelopes super-scribing "Technical Bid" and "Financial Bid" and both these two envelopes must be placed in a third envelope super-scribing "**Tender for Providing Accounting Services and Tax Consultancy**". The third envelope should be sealed and addressed to the DDGN, Bureau of Indian Standards, and should reach the Administration Department either by hand delivery or post or courier on or before 11:00 am of 29 Oct. 2021. Bid document without sealed condition shall not be opened.
3. दोनों तकनीकी और वित्तीय बोलियों पर हस्ताक्षर और मुहर लगा होना चाहिए अन्यथा इसे खारिज कर दिया जाएगा। **Both the Technical Bid & Financial Bid shall be Signed & Sealed.** Otherwise, it will be rejected.
4. नियत तिथि व समय के बाद प्राप्त बोली को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए, इस तरह की बोली बिना खोले ही वापस कर दी जाएगी। Bid received after the said date and time will be rejected. Hence, such bid shall be returned unopened to the bidder.

5. निविदा जारी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो निविदा भेजने से पहले निविदा दस्तावेज में परिवर्तन को शामिल करने के लिए शुद्धिपत्र के रूप में सूचित किया जाएगा। Any change that will be made in the tender document by competent authority after issue of tender will be intimated in the form of corrigendum for incorporating the same in the tender document before sending the tender.
6. निविदा दस्तावेज में कोई भी और कहीं भी परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यदि इनमें से कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो निविदा दस्तावेज सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। No alteration and addition anywhere in the tender document are permitted. If any of these are found, the tender document will be summarily rejected.
7. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगा। The tender will be valid for a period of 90 days from the date of opening of tender.
8. बोली की वैधता अवधि के दौरान नियमों और शर्तों में भिन्न होने पर ब्यूरो की सहमति के बिना बोलीदाता अपनी बोली वापस नहीं लेगा। नियम या शर्तों में भिन्न होने पर यदि बोलीदाता अपनी बोली वापस लेता है, तो उसके द्वारा जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। Bidder shall not revoke his bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest money deposit by it shall stand forfeited.
9. फैक्स या ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोली को खारिज कर दिया जाएगा। The bid received through Fax or E-mail will be rejected.
10. यदि निर्दिष्ट तिथि के दिन अवकाश घोषित किया जाता है, तो बोली को निर्धारित समय के लिए अगले कार्य दिवस में प्राप्त किया जाएगा। In the event that the specified date for the submission of bid offers is declared a holiday, then the bid will be received up to the prescribed time on the next working day.
11. बोलीदाता बोली जमा करने के बाद अपनी बोली वापस ले सकता है, बशर्ते वापसी के लिए अंतिम तिथि तक या प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय तक ब्यूरो को लिखित में सूचना प्राप्त होना चाहिए। The bidder may withdraw its offer after its submission provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.
12. बोलीदाता या अधिकृत व्यक्ति बोली के खोलने में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाएगी और उसी के लिए उन्हें अपना पहचान कार्ड या पहचान पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। बोलीदाता या प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में खोलने की प्रक्रिया की वैधता को बेकार नहीं किया जाएगा। The bidder or authorized person of the bidder is allowed to take part in the opening of bid and for the same they should submit the identification card or authorization letter. Absence of bidder or representative shall not impair legality of the opening procedure.

13. बोलीदाता हमारे कार्यालय शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में 11.00 बजे से 16.00 बजे के बीच इस कार्य हेतु स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मिल सकते हैं। Bidder may visit our office between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day except Saturday, Sunday and public holiday to get clarification on this work.
14. निविदा सूचना और सामान्य शर्तें अनुबंध का हिस्सा होगा। Tender Notice and the General Conditions shall form the part of the Contract.
15. ब्यूरो इस बोली में कार्य के दायरे को उपयुक्त वृद्धि / कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of the work put to this Bid.
16. बोली लगाने वाले केवल वित्तीय बोली की निर्दिष्ट पेज (अनुबंध- VII ) में दर उल्लेख करने होंगे। The bidder shall quote the financial bid in the specified page only (**Annexure-VII**).
17. बयाना जमा राशि (ईएमडी) की ओर (मात्र बीस हजार रुपए) - बोलीदाता 24,000/- (मात्र चौबीस हजार रूपये) का ब्याज मुक्त राशि जमा करेगा। बयाना राशि भारतीय मानक ब्यूरो, चंडीगढ़ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी के रूप में जमा किया जाएगा। ईएमडी के भुगतान के लिए एनईएफटी विवरण भी दिया गया है The Bidder shall deposit an interest free amount of **Rs.24,000.00 (Rupees Twenty Four thousand only) towards the Earnest Money Deposit (EMD)**. The Earnest money shall be deposited only in the form of **Demand Draft / NEFT** in favour of "Bureau of Indian Standards payable at Chandigarh.

**NEFT Details for payment of EMD**

i)	नाम Name	:Bureau of Indian Standards
ii)	खाता संख्या Account No.	:3918002100013974
iii)	आईएफएससी कोड IFSC CODE	: PUNB03911800
iv)	बैंक का नाम व पता Bank Name and place	:Punjab National Bank, Sector 27, Chandigarh

18. ईएमडी राशि के बिना प्राप्त बोली दस्तावेज को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और बोली के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया जाएगा। The bid document without EMD amount shall be summarily rejected and disqualified for bid.
19. असफल बोलीदाता की ईएमडी की राशि कार्य पूरा होने के बाद या वैधता अवधि या जो भी पहले होगा के बाद वापस कर दिया जाएगा। The EMD of unsuccessful bidder shall be refunded after the award of contract to the successful bidder and signing of agreement with successful bidder or within 30 thirty days on expiry of the validity period or whichever is earlier.
20. सफल बोलीदाता को उद्धृत मुल्य (वार्षिक) के 10% की राशि को प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में "कार्य आदेश" की प्राप्ति की तारीख से सात दिन पहले भुगतान करना होगा। यदि यह धनराशि नहीं जमा किया जाता है, तो सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी और अगले सफल बोलीदाता को ऑर्डर दे दिया जाएगा। The successful bidder shall pay the 10%

**Performance Security amount of the annual value of contract on or before seven days from the date of receipt of the "Work Order"**, else the EMD amount of the successful bidder shall be forfeited and the order will be placed to the next successful bidder.

21. सफल बोलीदाता को "कार्य आदेश" की प्राप्ति के पंद्रह दिन में या उससे पहले कार्य शुरू करना होगा, अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि और प्रदर्शन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। The successful bidder shall commence the work on or **before ten days from the day of receipt of the "Work Order"**, else the EMD amount and Performance Security amount of the successful bidder shall be forfeited.
22. तकनीकी बोली 29.10.2021 और समय 12:00 बजे हमारे कार्यालय में खोली जाएगी। The Technical Bid will be opened on 29.10.2021 and 12:00 hrs at our office.
23. प्रारंभ में, अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, अनुबंध सेवाओं में संतोषजनक प्रदर्शन, ब्यूरो और ठेकेदार के बीच आपसी सहमति के अधीन उक्त नियम व शर्तों सहित अनुबंध के साथ अतिरिक्त दो वर्ष के लिए (वार्षिक आधार पर) बढ़ाया जा सकता है। Initially, the Contract shall be valid for a period of one year which can be extended for further period of two years (Renewal year on year basis), subject to satisfactory performance of the contract services and mutual consent between Bureau and contractors; with the same terms & condition and rate of the contract.
24. निविदा दस्तावेज के खुलने व ईएमडी राशि को पुष्टि करने के फरस्वरूप तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निविदा दस्तावेज में निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता है। After opening of Technical bid and verifying the EMD amount, the technical bids shall be evaluated subsequently, so as to ensure that, the bidders meets the minimum eligibility criteria as specified in the tender document.
25. तकनीकी बोलियों बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना और बोली लगाने वालों की योग्यता की सहायता करने के लिए, ब्यूरो, बोलीदाता से स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि निर्धारित समय के भीतर जबाब प्राप्त नहीं होता है, तो तकनीकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। The technical bids shall be evaluated based on the available documents submitted by the bidder. To assist the examination, evaluation, comparison and qualification of the bidders, the Bureau may seek clarification from the bidder. If the reply is not received within the stipulated time, the Technical Bid will not be considered.
26. केवल एजेंसियों को उत्तीर्ण तकनीकी बोली के वित्तीय बोली खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और बाकी एजेंसियों को उनकी अयोग्यता के बारे में सूचित किया जाएगा। Only the agencies qualifies the technical bid shall be invited for financial bid opening and the rest of the agency will be informed about their disqualification.
27. निविदा सूचना और सामान्य शर्तें अनुबंध का एक हिस्सा होगा। Tender Notice and the General Conditions shall form the part of the Contract.

28. ब्यूरो उपयुक्त वृद्धि / काम इस बोली के लिए रखा का दायरा कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of the work put to this Bid.

**न्यूनतम पात्रता के लिए मानदंड MINIMUM ELIGIBILITY CRITERIA**

- 1. बोली सुरक्षा (ईएमडी):** निविदादाता को **बयाना जमा के लिए रू 24,000.00 (मात्र चौबीस हज़ार रुपए)** के रूप में जमा करना होगा। और भारतीय मानक ब्यूरो, चंडीगढ़ के पक्ष में देय उक्त धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट या नेफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। **(ईएमडी भुगतान के लिए नेफ्ट विवरण संलग्न है)** अन्यथा बोली के लिए विचार नहीं किया जाएगा। EMD for an amount of Rs.24,000.00 (Rupees Twenty Four thousand only) is to be submitted along with the tender document either in the form of Demand Draft drawn in favour of "Bureau of Indian Standards payable at Chandigarh or by NEFT (NEFT details to be enclosed). Bid without EMD amount will be rejected.
- 2. (a) चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के प्रावधानों के तहत आईसीएआई के साथ पंजीकृत होना चाहिए** Chartered Accountant firm should have registered with the ICAI under the provisions of Chartered Accountant Act.
- 3. फर्म का पंजीकृत या शाखा कार्यालय चंडीगढ़ में होगा। इसका दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है।**The firm shall have its registered or branch office in Chandigarh. The documentary proof of the same needs to be attached.
- 4. चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के पास एफसीए सदस्य होना चाहिए।** The Chartered Accountant Firm must have a FCA member.
- 5. फर्म के पास सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केंद्रीय या राज्य)/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेखा सेवा प्रदान करने तथा टैक्स परामर्श का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता है।** The firm should have at-least five years experience in providing accounting service and tax consultancy to the Government Departments / Public Sector Undertakings (Central or State) / Private Limited Company. Copy of relevant documents need to be attached.
- 6. आयकर विभाग की ओर से पैन पंजीकरण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी।** Copy of PAN registration form should be enclosed.
- 7. फर्म के पास पंजीकृत जीएसटी होना चाहिए और जीएसटीआईएन सेवा प्रदान करने के लिए पत्र होना चाहिए।** The firm should have registered with GST and should submit the **GSTIN** for providing the services.
- 8. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी / फर्म के आयकर रिटर्न संलग्न किया जाना चाहिए। (वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 & 2019-20) Income Tax Return of the company/firm for the **past three financial years** should be enclosed (Financial Year 2017-18, 2018-19 & 2019-20).**

9. पिछले तीन वर्षों (वित्तीय 2017-18, 2018-19 & 2019-20) के दौरान लेखा कार्यों, लेखा परीक्षा तथा कर परामर्श का सकल टर्नओवर प्रति वर्ष रु. 25 लाख (औसत) से कम न हो। (पिछले संबंध वर्षों के वार्षिक लेखों की प्रतियाँ संलग्न करें)। The average gross turnover during the last three years (Financial 2017-18, 2018-19 & 2019-20) from Accounts services, Auditing and Tax Consultancy services shall be equal to or more than Rs. 25 lakh. (Attach copies of annual accounts for the previous relevant years).
10. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी/फर्म की सेवा कर रिटर्न संलग्न किया जाना चाहिए। (वित्तीय 2017-18, 2018-19 & 2019-20) Goods & Service Tax Return of the Company/firm for the **past three financial years** should be enclosed. (**Financial Year 2017-18, 2018-19 & 2019-20**).
11. सीए फर्म को निविदा के नियमों और शर्तों का पालन करते हुए अपनी फर्म को काली सूची में न डालने के लिए एक हलफनामा/वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी। The CA Firm must have to submit an affidavit/undertaking for non blacklisting of his Firm an abiding the terms and conditions of the tender.



**लेखा कार्य तथा कर परामर्श का दायरा /SCOPE OF ACCOUNTS WORKS & Tax Consultancy**

1. लेखा सेवा के उद्देश्य के लेखांकन और आंतरिक दिशानिर्देश के सामान्य सिद्धांत के अनुसार टैली सॉफ्टवेयर अथवा किसी अन्य सॉफ्टवेर में ब्यूरो की दिनचर्या लेखा काम को करने के लिए और समय-समय पर सरकार की अधिसूचना के अनुसार समयबद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए है।  
The purpose of Accounting Services is to perform the routine accounting work of BUREAU in Tally Software or any other software as per the general principle of accounting and internal guideline and to take time bound appropriate action as per the Government notification from time to time.
2. सभी लेनदेन कुंजी में टैली सॉफ्टवेयर अथवा ब्यूरो द्वारा सुझाए किसी अन्य सॉफ्टवेर और रिपोर्ट को आवश्यकता के अनुसार ही बनाया जाएगा और जरूरतों को ध्यान में लेखा के लिए लेजर बुक के लिए हार्ड कॉपी भी बनाया जाएगा | All transactions shall be recorded in tally software or any other softwares, as suggested by Bureau, and report shall be generated as per requirement and shall maintain hard copy of Ledger book of accounts as per the requirements.
3. रसीद तैयार करना, बैंक के लिए भुगतान वाउचर तैयार करना, जर्नल वाउचर आदि तैयार करने में सहायता करना | Preparation of Receipts, Bank Payment Vouchers, Journal Vouchers etc.
4. आवश्यकता के अनुसार बैंक समाधान विवरण तैयार करना और आय-खर्च, रसीद और भुगतान तैयार करना | Preparation of Bank Reconciliation statement, Income & Expenditure & Receipts & Payment as per requirement.
5. किसी भी पार्टी को प्राप्य / देय राशि तक पहुँचने के लिए पार्टी खाते में पोस्टिंग सहित कैश बुक और लेजर पोस्टिंग का सत्यापन | Verification of cash book and ledger posting including the posting in party account to access the amount receivable / payable to any party.
6. सभी मूल्यहास को और लिखा-नीचे मूल्य पहुंचने खाते के रजिस्ट्रों की एसेट बूक का रखरखाव को व्यवस्थित करना | Maintenance of Register for Assets, Depreciation & Written-down value of Assets, etc.
7. हर महीने या हर महीने की 7 तारीख से पहले सभी अनुसूचियों के साथ ट्राइल बैलेंस रिपोर्ट तैयार करना | Preparation of Trial Balance on or before 7<sup>th</sup> of every month along-with all schedules.
8. भा मा ब्यूरो के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार सभी विभागों के समेकित बयान की तैयारी के रूप में प्रति खातों की वार्षिक लेखाबंदी को अंतिम रूप देना | Finalization of Annual Closing of Accounts as per HQ guidelines and preparation of consolidated statement.

9. सभी अग्रिम, किए गए क्लेम की प्रतिपूर्ति, भुगतान, वसूली और अग्रेषण व लेन-देन के संबंध में अनुरक्षण आदि का कार्य करना है । Maintenance of party-wise ledger in respect of all advances, claims, reimbursement, payments, recovery and expenses.
10. टीडीएस के बयान और उसी के प्रेषण निर्धारित समय और संबंधित पक्षों के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र को तैयार करना और निर्धारित समय के भीतर त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना आदि । Preparation of TDS statement and remittance of the same within the stipulated time and generation of TDS certificate to the concerned parties and filing the quarterly returns within the stipulated time.
11. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऑडिट, सेवा कर, बिक्री कर, व्यावसायिक टैक्स, टीडीएस, आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में तथा अन्य सभी लेखा परीक्षा के प्रश्नों के जवाब देने में ब्यूरो की सहायता करना। Assisting Bureau in giving reply to all audit queries in respect of CAG Audit, GST, Professional Tax, TDS, Internal Audit, etc.
12. सरकार की अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर जी एस टी, टीडीएस तथा अन्य टैक्स से संबंधित मामलों पर (पिछले वित्त वर्षों समेत ) विशेषज्ञ की राय प्रदान करना। Providing advices on the matters relating to GST, TDS and all taxes (including all previous financial years) as per Government notification from time to time.
13. इनपुट क्रेडिट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, सेनवेट क्रेडिट इत्यादि के कारण हर महीने निर्धारित तारीख और समय के अंदर जीएसटी का प्रेषण किया जाना है । Remittance of GST within the stipulated date and time every month taking into account of input tax credit, Reverse Charge Mechanism, etc.
14. जीएसटी तथा अन्य करों के मामले में सभी कार्यवाही करना और समय-समय पर ब्यूरो को भारत सरकार के अधिसूचना भी बताने हैं । Taking all actions in respect of GST & other taxes and enlightening with the Government notifications to the Bureau from time to time.
15. जीएसटी के मामले में सभी कार्यवाही करने हैं और समय-समय पर ब्यूरो को भारत सरकार के अधिसूचना भी बताने हैं । Filing of monthly and annual GST returns (GSTR 9 A & GSTR 9C) within the stipulated date and time as per the Government notifications from time to time.
16. Any other requirement to be completed as per GST. जीएसटी के अनुसार अन्य चीजें जिसे पूरा किया जाना है ।
17. लेखा कार्य में ज्ञान, टैलि सॉफ्टवेर, एमएस ऑफिस तथा अन्य सॉफ्टवेर में ज्ञान के साथ दो सीए-इंटर या समकक्ष के अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है जिन्हे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो और वह टीडीएस एवं जीएसटी के सभी मामलों में सभी कार्य दिवसों में दैनिक कार्यों के साथ-साथ सभी करों की देखभाल करने के लिए प्रति दिन तैनात किया जाना है । ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्ति की योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान की जाएगी। तैनात व्यक्ति को ब्यूरो की लिखित सहमति के बिना हटाया या बदला नहीं जाएगा।

Two dedicated candidates with minimum qualification of CA (Inter) or equivalent , who have experience of three years and having thorough knowledge of accounting in Tally, MS Office and other Softwares, and all taxes (including TDS and GST) shall be deployed on all working days to take care of all the routine work. Copy of the Qualification and experience certificates of the deployed person shall be provided by the contractor. The deployed person shall not be removed or changed without written consent of the Bureau.

18. एजेंसी लेखा पेशेवर प्रत्येक सप्ताह में कार्यालय में आएंगे और नियमित कार्य के लिए मार्गदर्शन करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम समय-समय पर लेखांकन सिद्धांतों और भारत सरकार की सूचनाओं के अनुसार किया जा रहा है। The agency accounting professional shall visit the office every week to assess and to guide the routine work and to ensure that the work are being carried out as per accounting principles and Government of India (GOI) notifications from time to time in respect of all taxes.
19. अन्य लेखा कार्य जब भी जरूरत पड़े उपलब्ध कराया जाना है । Any other accounting related work as and when required by the Bureau.
20. फ़र्म द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित प्रसंगों को कार्यान्वित करना होगा :-  
The firm shall mainly carry out the following events within the stipulated dates :

क्रम संख्या S.No.	विवरण Particulars	प्रस्तुत करने की तिथि Submission Dates	प्रसंग / लेन-देन Event/Transaction
1.	Bookkeeping, Accounting, Bank and Journal Vouchers, Receipts Issuing, etc.	NA	Daily Basis
2.	Bank Reconciliation, Income and Expenditure Report, Trial Balance, alongwith Schedules	5 <sup>TH</sup> OF Every Month	Monthly Basis
3.	Internal and CAG Audit Replies	Within 15 days	Half Yearly Basis
4.	TDS Demand Preparation and Return Filing	Before 5 <sup>th</sup> of Every Month	Monthly Basis
5.	GST demand Preparation and Return Filing (GSTR1, GSTR 3B, etc.)	Before 10 <sup>th</sup> of Every Month	Monthly Basis
6.	GSTR-9A	As per Circular of GST Deptt.	Yearly Basis
7.	GSTR-2B and Purchase Register reconciliation	15 <sup>th</sup> of Every Month	Monthly Basis
8.	Representation on Tax Issues (if any) NA		As per requirement
9.	Tax Consultancy (Direct & Indirect) NA		Daily Basis
10.	Final Accounts/Trial Balance	Before 10 <sup>th</sup> of April	Yearly Basis

11.	GST Audit (GSTR 9C) from other CA Firm	As per the notification of Government of India	Yearly Basis
-----	--	--	--------------

21 खाता कार्य तथा टैक्सेशन जो पहले से है, अनुबंध के पुरस्कार से पहले सभी मदों (2-20) और / या संविदा के समय की प्रक्रिया से अनुबंध के लिए एजेंसी द्वारा शुरू किया जाएगा। The Accounting works and taxation, which are originated before the award of contract and also at the time of award of contract in respect of all work as mentioned above from serial number (2-20) shall be taken up by the agency.

**ध्यान दें :** एजेंसी निविदा में भाग लेने के लिए इच्छुक शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 से 16.00 बजे के बीच मिल सकते हैं ।

**Note: Interested agency may visit our Office between 1100 h to 1600 h on all working days except Saturdays, Sundays and holidays**

तिथि/ Date

स्थान /Place:

(फर्म की स्टॉप सहित बोलीदाता का नाम व हस्ताक्षर )  
(Name and Signature of Tenderer with Stamp of the firm)

## अनुबंध की सामान्य शर्तें/GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. **अनुबंध** इन शर्तों के अधीन का अभिप्राय है कि निविदा दस्तावेज और अनुबंध के साथ संलग्न प्रासंगिक अनुलग्नक। **Annexure** referred to in these conditions shall mean the relevant annexure appended to the Tender Document and the Contract.
2. **ब्यूरो** से तात्पर्य है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो है **Bureau** shall mean Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 2016.
3. **बोली** बोली का अभिप्राय है कि ब्यूरो को **लेखा सेवाएं तथा टैक्स कंसल्टेंसी** अनुबंध प्रदान करने हेतु है। **Bid** means the Contractor's priced offer to the Bureau for providing Accounting Services Contract.
4. **आरंभ तिथि** से तात्पर्य है विहित स्थानों पर सेवाएँ उपलब्ध कराने की शुरुवात संबंधी वह तिथि है, जिसमें संविदाकार को सूचना प्राप्त हो। **Commencement Date** means the date upon which the Contractor receives the notice to commence the rendering of services at specified places.
5. **Competent Authority** shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract. **सक्षम प्राधिकारी** से तात्पर्य है इस संविदा के तहत, ब्यूरो की ओर से कार्य करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।
6. **संविदा** से तात्पर्य है कि निविदा सूचना हित, बोलीदाताओं के लिए निर्देश, संविदा की शर्तों एवं निबंधन, स्वीकृति पत्र, प्रस्ताव, करार एवं ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ प्राधिकृत आपसी पत्राचार में स्वीकृति आपकी शर्तें तथा संविदा के साथ बनाए गए किसी भी प्रकार के दस्तावेज़। **Contract** shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
7. **संविदा राशि** तात्पर्य है संविदाकार द्वारा उसकी बोली में उद्धृत की गयी राशि एवं ब्यूरो द्वारा स्वीकार्य। **Contract Amount** shall mean the sum quoted by the Contractor in his bid and accepted by the Bureau.
8. **संविदाकार** से तात्पर्य है व्यक्ति या फर्म या कंपनी, चाहे निगमित हो या ना हो, संविदा उपक्रमित एवं ऐसे व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या ऐसी फ़र्म में शामिल व्यक्ति या अनिगमित कंपनी या ऐसी फ़र्म के उत्तराधिकारी या कंपनी, जो भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति या फ़र्म या कंपनी को सौंपी गयी अनुमति। **Contractor** shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not,

undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual or persons composing such firm or unincorporated company or successors of such firm or company as the case may be and permitted assigns of such individual or firm or company.

9. **उपमहानिदेशक** से तात्पर्य है कि ब्यूरो का उपमहानिदेशक उस कार्यालय का समय-समय पर पदधारक एवं उनका उत्तराधिकारी भी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी शामिल होंगे। **Deputy Director General** shall mean the Deputy Director General of the Bureau, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
10. **सरकार** से अभिप्राय है केंद्रीय सरकार। **Government** shall mean the Central Government.
11. **पत्र स्वीकार्यता** से अभिप्राय है ठेकेदार द्वारा आधिकारिक स्वीकृत। **Letter of Acceptance** means the formal acceptance letter given by the Contractor.
12. **सेवाओं** से अभिप्राय है संविदा में यथा वर्णित संविदाकार द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ तथा निविदा दस्तावेज़ में विहित की गयी अन्य सेवाएँ शामिल होंगी। **Services** shall mean the services to be provided to the Bureau by the Contractor as stated in the Contract.
13. **निविदा** से तात्पर्य है संविदा आधार पर ब्यूरो कार्यालय के लिए लेखा आउटसोर्सिंग अनुबंध। लेखा सेवाएँ हेतु तय मूल्य के लिए प्रस्ताव देने के लिए भावी बोलीदाताओं को ब्यूरो द्वारा औपचारिक आमंत्रण। **Tender** means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer rates for Accounting Outsourcing Services and Tax Consultancy Contract for **BUREAU**.
14. **अनुबंध के लिए पार्टि:** ठेकेदार, जिसका प्रस्ताव ब्यूरो द्वारा स्वीकार किया जाता है और ब्यूरो।
15. **संविदा** से संबंधित सभी मामलों में प्रस्ताव या एक फर्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से अनुबंध का हिस्सा बनाने के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जैसा भी मामला हो ऐसे व्यक्ति / या फर्म अधिकार तक ही सीमित ही समझा जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति इस तरह का कोई अधिकार नहीं रखता है कि ब्यूरो किसी भी अन्य सिविल / आपराधिक उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुबंध समाप्त करने और हस्ताक्षरकर्ता और / या ऐसी समाप्ति के लिए सभी लागत और नुकसान के लिए फर्म उत्तरदायी हो सकता है। The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

16. **प्रदर्शन सुरक्षा:** अनुबंध-I में परिभाषित के रूप में अनुबंध की वजह से प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, एक ब्याज मुक्त, " चंडीगढ़ में देय " भारतीय मानक ब्यूरो" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के रूप में ठेकेदार द्वारा जमा किया जाएगा । **Performance Security:** To ensure due Performance of the contract, an interest-free deposit, as defined in **Annexure –I** shall be deposited by the contractor in the form of either Demand Draft or Bank Guarantee in favour of "Bureau of Indian Standards payable at Chandigarh.
17. **प्रदर्शन सुरक्षा:** ठेकेदार के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा। यदि ठेकेदार की तरफ से ब्यूरो पर कोई दावा नहीं होगा तो साठ दिन पूरा होने के बाद निष्पादन सुरक्षा ठेकेदार को ब्यूरो द्वारा वापस कर दिया जाएगा । अनुबंध के उल्लंघन के मामले में प्रदर्शन सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी। Performance Security shall remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the contractor. The Performance Security shall be returned to the Contractor by the Bureau after sixty days of completion. However, if any outstanding dues, recovery on the part of Contractor, the same shall be adjusted with Performance Security and the balance will be refunded. In case of breach of Contract, the Performance Security will be forfeited.
18. **संविदा के दस्तावेज़:** कई अनुबंध दस्तावेज परस्पर समझ के साथ अन्य द्वारा एक पार्टी का गठन किया जाएगा, लेकिन अस्पष्टता और विसंगतियों के मामले में ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक ही ठेकेदार को आवश्यक अनुदेश जारी करेगा और सामंजस्य के लिए अनुबंध में प्रदान की जाती है जब तक कि अनुबंध के गठन के दस्तावेजों की प्राथमिकता के आधार पर इस तरह की घटना में निम्नलिखित रूप में किया जाएगा : **Contract Documents:** The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Contractor necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:
- i) करार
  - ii) अनुबंध की शर्तों
  - iii) निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज
  - iv) स्वीकृति पत्र
  - v) किसी भी अन्य पत्राचार अनुबंध के संबंध में दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया।
  - vi) ठेकेदार का प्रस्ताव
- i) The Agreement
  - ii) The Conditions of Contract
  - iii) Tender Notice and Tender Document
  - iv) Letter of Acceptance
  - v) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.

vi) The Bureau's Offer letter (Work order)

19. **अनुबंध की वैधता** : अनुबंध की वैधता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर समीक्षा के उपरांत दोनों की आपसी सहमति पर उक्त नियम व शर्तों और उल्लेख दर के आधार पर दो वर्ष के लिए (वार्षिक आधार पर) और बढ़ाया जा सकता है। वार्षिक विस्तार के बाद अनुबंध की कुल अधिकतम अवधि तीन वर्ष की होगी।

**Validity of the Contract:** The Contract shall be valid for a period of one-year from the date of award of Contract which can be extended for further period of two years (year on year basis) with the same rates and Terms & Conditions subject to mutual consent between the Bureau and the Contractor and satisfactory performance by the contractor during the contract period.

20. **कार्य क्षेत्र** : ठेकेदार कार्य के दायरे में अनुबंध - III में दी गई अनुसार लेखा सेवाएं तथा टैक्स कंसल्टेंसी प्रदान करेगा। **Scope of work:** The contractor shall provide Accounting Services and Tax Consultancy as per the Scope of work given in **Annexure III**.

21. **भुगतान की शर्तें**: अनुबंध के बिल का भुगतान केवल एनईएफटी के माध्यम से मासिक आधार पर किया जाएगा और भुगतान करने के लिए उक्त बैंक का विवरण प्रदान कराएगा। भुगतान यानी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन कर सरकार की अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर प्रत्येक बिल के लिए सकल राशि से प्रचलित दरों पर उपकर / अधिभार के साथ स्रोत पर कटौती की जाएगी। ब्यूरो के पास फर्म द्वारा उठाए गए बिल से राशि काटने का अधिकार सुरक्षित है जैसा कि असंतोषजनक सेवाओं या सेवाएं प्रदान करने में देरी के लिए उचित माना जा सकता है। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

सीए नियंत्रण अधिकारी (लेखा अनुभाग) को एक "द्विमासिक समीक्षा/स्थिति रिपोर्ट" भी प्रस्तुत करेगा जिसमें बहियों और खातों की स्थिति और लंबित मुद्दों को दर्शाया जाएगा। यह रिपोर्ट उनके बिल के समय पर प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण होगी।

**Payment Terms:** The payment of bills of the contract will be made only through NEFT on monthly basis and for the same bank details shall be provided for making payment. The payment will be made after deduction of applicable taxes in accordance to Income Tax Act, 1961 as per the Government notification from time to time. Bureau reserves the right to deduct amount from the bill raised by the firm as may be considered reasonable for unsatisfactory services or delay in providing of services. The decision of the Department will be the final in this regard.

The CA shall also submit a "Bi Monthly Review/status report" to the controlling officer (Accounts Section) showing the status of the books and accounts and also the pending issues, if any. This report shall be vital for timely processing of their bill.

22. **अनुबंध का निलंबन**: ब्यूरो अस्थायी रूप से जो करने के लिए के रूप में ठेकेदार के कदाचार की अपर्याप्त सेवा के लिए इस अनुबंध के नियम और शर्तों में से किसी का उल्लंघन करने के लिए ठेकेदार



को लिखित रूप में 24 घंटे के नोटिस पर इस अनुबंध को निलंबित करने के लिए किसी भी समय आजादी होगी निर्णय की ब्यूरो अंतिम होगा और ठेकेदार उसके वजह से किसी भी परिवर्तन या मुआवजे के हकदार नहीं होगा। **Suspension of Contract:** The Bureau shall be at liberty at any time to temporarily suspend this Contract on giving 24 hours notice in writing to the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the Bureau shall be final and the Contractor shall not be entitled to any change or compensation by reason thereof.

23. **ब्यूरो द्वारा समाप्ति:** ब्यूरो बिना कोई कारण बताए और ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में ठेकेदार को एक महीने के नोटिस देकर ठेकेदार ऐसी समाप्ति की वजह से कष्ट हो सकता, जो नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होने के बिना किसी भी समय पर समझौते को समाप्त करने के लिए यह भी वैध हो जाएंगे ऐसी समाप्ति के लिए। किसी भी तरह के समापन अनुबंध के तहत ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा। **Termination by the Bureau:** It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the Contractor one month notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.
24. **समाप्त करने के लिए ठेकेदार के अधिकार:** ठेकेदार अनुबंध की अवधि के पूरा होने से पहले अनुबंध समाप्त करने का फैसला लेता है, तो ठेकेदार को कम से कम 30 दिन पहले अग्रिम सूचना देना होता है। ठेकेदार 30 दिनों की पूर्व सूचना के बिना समझौते के समाप्त करता है, तो उसकी पूरी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। **Contractor's right to terminate:** If the Contractor decides to terminate the Contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 30 days. If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 30 days, then the entire security deposit will be forfeited.
25. लेखा कार्य में ज्ञान, टैलि सॉफ्टवेर, एमएस ऑफिस तथा अन्य सॉफ्टवेर में ज्ञान के साथ दो सीए-इंटर या समकक्ष के अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो और वह टीडीएस एवं जीएसटी के सभी मामलों में सभी कार्य दिवसों में दैनिक कार्यों के साथ-साथ सभी करों की देखभाल करने के लिए प्रति दिन तैनात किया जाना है। तैनात व्यक्ति की योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी | Two dedicated candidates with minimum qualification of CA (Inter) or equivalent, who have experience of three years and having thorough knowledge of accounting in Tally, MS Office and other Softwares, and all taxes (including TDS and GST) shall be deployed on all working days to take care of all the routine work. Copy of the Qualification and experience certificates of the deployed person shall be provided by the contractor.
26. ब्यूरो आवश्यकताओं के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रदर्शन के लिए योग्य और अनुभवी कर्मियों को तैनात करेगा और जब भी आवश्यक हो, निर्धारित समय के भीतर सौंपे गए कार्य को पूरा करेगा। The contractor shall deploy qualified and experienced personnel in performing the job as per the Bureau requirements and shall complete the assigned task within the stipulated time as and when required.

27. तैनात व्यक्तियों अच्छे से व्यवहार करेगा और कार्यालय में सही ढंग से आचार संहिता के सामान्य सिद्धांत का पालन करेगा। The deployed persons shall maintain decent behavior and shall strictly adhere the general principle of code of conduct in the office.
28. ब्यूरो सौंपे गए कार्य से तैनात व्यक्ति को हटा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि मानक के अनुसार सौंपे गए कार्य को ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है या आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है। The Bureau shall remove any of the deployed person from the assigned job, if it is found that the assigned work are not being carried-out as per standards or not adhering the code of conduct.
29. ठेकेदार तैनात कर्मियों को मजदूरी के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और ईपीएफ, ईएसआई और समय-समय पर सरकार अध्यादेश के अन्य वैधानिक अनुपालन के संबंध में किसी भी लाभ के लिए उत्तरदायी है। The contractor is sole responsible for disbursement of wages to the deployed personnel and also liable for any benefits in respect of EPF, ESI and other statutory compliance of Government Ordinance from time to time.
30. ठेकेदार तैनात कर्मियों को मुआवजे से किसी के लिए एकमात्र जिम्मेदार है और भी अन्य वैधानिक किसी भी चोट / दुर्घटना के संबंध में जो कार्यालय परिसर में होता है तो समय-समय पर सरकार अध्यादेश के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। The contractor is sole responsible for any of the compensation to the deployed personnel and also liable for other statutory compliance of Government Ordinance from time to time in respect of any injury / accident that causes in office premise.
31. **अप्रत्याशित घटना के लिए खण्ड** : इस अनुबंध के बने रहने के दौरान किसी भी समय, इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के किसी भी पक्ष द्वारा पूरे या हिस्से में प्रदर्शन किसी भी कारणों से रोका या देरी हो जाएगा, या कोई दुश्मनी, सार्वजनिक दुश्मन का कार्य करते हैं, महामारी, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या भगवान (बाद में इस तरह के कृत्यों के रूप में करने के लिए कहा गया है) की तारीख से 21 दिनों के भीतर दूसरे के लिए एक पार्टी द्वारा दिया जाएगा। और इस तरह की घटना के घटित होने की सूचना भी उपलब्ध कराया जाना उचित है और न तो पार्टी इस तरह की घटना के कारणों के द्वारा अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है और न ही पार्टी इस तरह के गैर-प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में अन्य के खिलाफ क्षति के लिए किसी भी प्रकार का दावा पेश करे, और अनुबंध के तहत सेवा देने के रूप में फिर से शुरू किया जाएगा जल्द ही इस तरह की घटना के बाद साध्य के रूप में आगे बढ़ेंगे है, बशर्ते ब्यूरो के उप-महानिदेशक (उत्तर) के अंतिम निर्णय पर होगा, कि फिर से कार्य शुरू करने के लिए क्या किया जाय जो निष्पादन पर निर्भर करता है, इसके लिए ब्यूरो स्वतंत्र रूप से अपने विकल्प पर भी प्रदान की संविदा समाप्त कर सकते हैं या तो पार्टी से पर लेने के लिए, पूरे या इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के हिस्से में रोका जाता है या 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए किसी भी तरह की घटना की वजह से देरी एक कीमत पर ठेकेदार अंतिम होगा जो महानिदेशक द्वारा तय किया जाना है। **Force Majeure Clause:** If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any

war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Dy. Director General (North) of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Director General, which shall be final.

32. **भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं:** ब्यूरो इस बोली के अंतर्गत बोलीदाताओं से ऐसे अनुबंधों की खरीद और निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन आवश्यक है। तदनुसार, ब्यूरो के रूप में निम्नानुसार निर्धारित नियमों को परिभाषित करता है **Corrupt or Fraudulent Practices:** The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows.
33. **भ्रष्ट आचरण का अभिप्राय** खरीद प्रक्रिया में या अनुबंध निष्पादन में सरकारी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्य का कुछ के प्राप्त या लोभ, का पेशकश देना और। Corrupt practice means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the procurement process or in contract execution; and.
34. **‘धोखाधड़ी प्रथा’** का अभिप्राय एक खरीद प्रक्रिया या ब्यूरो की हानि के लिए एक अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के क्रम में तथ्यों की एक गलत बयानी है, और कृत्रिम पर अनुबंध की कीमतों की स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया (बोली प्रस्तुत करने के लिए पहले या बाद में) बोलीदाताओं के बीच कपटपूर्ण अभ्यास में शामिल गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर और स्वतंत्र और खुली प्रतियोगिता के लाभों के ब्यूरो वंचित करने के लिए। “Fraudulent practice” means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or a execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.
35. अनुबंध की अवधि के दौरान या बाद में, ठेकेदार को भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लगा हुआ पाया जाता है, तो ब्यूरो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा ; किसी समय में यह निर्धारित करता है कि यदि ब्यूरो या

तो अनिश्चित काल के लिए या पात्र ठेकेदार की घोषणा की तारीख से 24 महीने की अवधि के लिए, पात्र ठेकेदार के लिए एक अनुबंध दिया जाएगा। The Bureau will reject a proposal for award if it determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices before, during or after the period of contract; The Bureau will hold the Contractor ineligible to be awarded a contract, either indefinitely or for a period of 24 months from the date of declaring the contractor ineligible if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing the Contract.

36. **गोपनीयता** : ठेकेदार ब्यूरो से पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को इस अनुबंध के तहत होलीडे होम सेवाएं प्रदान करते हुए प्राप्त हमारे मालिकाना हक का खुलासा नहीं किया जाएगा। **Confidentiality:** The Contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while providing Accounting Outsourcing Services under this Contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.
37. **प्रचार** : यदि ठेकेदार द्वारा प्रचार के लिए ब्यूरो के नाम का इस्तेमाल किया जाता है तो ठेकेदार को ब्यूरो से स्पष्ट लिखित में अनुमति के साथ किया जाना चाहिए। **Publicity:** Any publicity by the Contractor in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.
38. **विवाद और मध्यस्थता** : ब्यूरो और ठेकेदार के अधीन या अनुबंध के संबंध में उन दोनों के बीच उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष अनौपचारिक बातचीत, किसी भी असहमति या विवाद से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कि किसी भी तरह की एक विवाद भारतीय मानक ब्यूरो के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को हल निकालने के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता और सुलह भारतीय अधिनियम के प्रावधानों, 2021 से लागू होंगे। **Disputes & Arbitration:** The Bureau and the Contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the BUREAU. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2021 shall apply.
39. **सेवारत सूचना के मोड** : केवल अनुबंध के लिए लिखित रूप में जो दलों के बीच संवाद प्रभावी हैं। एक नोटिस तभी प्रभावी होगा यह (भारतीय संविदा अधिनियम के संदर्भ में) दिया जाता है। **Mode of serving Notice:** Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).

40. उपलब्ध अनुबंध के लिए ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी सूचनाएं जारी किया जाएगा। यदि किसी मामले में पंजीकृत डाक द्वारा पोस्ट के सामान्य पाठ्यक्रम में इन पर कार्य किया गया होता या वितरित करने के लिए नोटिस ठेकेदार के अंतिम ज्ञात जगह या एडोब या व्यवसाय के लिए द्वारा भेजा जाता है, तो यह समझा जाएगा कि वितरित कर दिया गया है। All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of the Contractor, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.

41. विलंबित आपूर्ति के लिए परिसमापन हर्जाना | Liquidated Damages for delayed supply

यदि ठेकेदार किसी भी या सभी सेवाओं को वितरित करने में विफल रहता है या अनुबंध में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सेवाओं का प्रदर्शन नहीं करता है, तो उसके नियंत्रण से परे कारणों से, ब्यूरो अनुबंध के तहत अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कटौती करेगा। अनुबंध मूल्य, परिसमापन क्षति के रूप में, प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग के लिए न वितरित सेवाओं की कीमत के 1 प्रतिशत के बराबर राशि, जिसके दौरान प्रदान की गई सेवाओं में देरी हो सकती है, जो निर्धारित दर के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन है। सेवाएं इसलिए प्रदान नहीं की गई हैं। एक बार ऊपर दिए गए नुकसान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद, ब्यूरो अनुबंध को समाप्त करने पर विचार कर सकता है।

If the Contractor fails to deliver any or all of the services or does not perform the Services within the time period specified in the Contract, for the reasons beyond his control, the Bureau shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, deduct from the Contract price, as liquidated damages, a sum equivalent to 1 percent of the price of the undelivered services for each week or part thereof during which the provided the services may be delayed subject to a maximum limit of 10 percent of the stipulated rate of the services so not provided. Once the maximum of the damages above is reached, the Bureau may consider termination of the Contract.

42. सेवाओं का जोखिम | Risk of Services

यदि ठेकेदार अवधि में निर्धारित सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहता है, तो ब्यूरो के पास ठेकेदार के जोखिम, लागत और जिम्मेदारी पर वैकल्पिक स्रोतों से समान या समान सेवाएं लेने का अधिकार सुरक्षित है। In case the Contractor fails to provide the services as stipulated in the period, the Bureau reserves the right to take services the same or similar services from alternate sources at the risk, cost and responsibility of the Contractor.

43. ठेकेदार नीचे दिए गए अनुसार सेवाओं में कमी के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा:-

- टीडीएस या जीएसटी संबन्धित ब्याज और दंड ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।
- फर्म के प्रत्येक योग्य कर्मियों की अनुपलब्धता @ 700/- प्रति दिन रुपये की कटौती की जाएगी।
- अनुलग्नक III में 'कार्य क्षेत्र' के अनुसार उपरोक्त के अलावा अन्य उत्तरदायित्वों का पालन न करने पर मासिक बिल का 1% जुर्माना।

The Contractor shall be liable for the penalties for deficiency in the services as indicated given below:

- All interests and penalties w.r.t. TDS or GST shall be borne by the contractor.
- Non-availability of each qualified personnels of the firm shall be deducted @ Rs. 700/- per day.
- Penalty of 1% of monthly bill for Non-compliance of other responsibilities (Other than above) as per 'Scope of Work' of Annexure-III.

44. **शासकीय भाषा** : पूरे अनुबंध और संचार उसके लिए भाषा शासकीय अंग्रेजी में किया जाएगा।  
**Governing language:** Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English.

45. **कानून** : भारतीय कानून के तहत अनुबंध शासित और व्याख्या की जाएगी। **Law:** The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.

46. **न्यायिक अधिकार क्षेत्र**: कोई वाद या अनुबंध के प्रदर्शन या उल्लंघन से संबंधित अन्य कार्यवाही केवल चंडीगढ़ की स्थानीय सीमाओं के भीतर सक्षम अदालतों को छोड़कर कानून के किसी भी न्यायालय में ठेकेदार द्वारा क्षेत्राधिकार दायर या ले लिया जाएगा।

**Legal Jurisdiction:** No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Chandigarh only.

47. **स्टाम्प ड्यूटी**: ठेकेदार अनुबंध के संबंध में किसी भी स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेगा। **Stamp duty:** The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

करार

इस पर किए गए समझौते \_\_\_\_\_ मैसर्ज \_\_\_\_\_ (नाम और ठेकेदार का पता) के बीच \_\_\_\_\_ 2017 के दिन (उसके बाद यह प्रतिकूल या उसके अर्थ में, जब तक इसका मतलब यह समझा जाएगा जो अभिव्यक्ति के तौर पर ठेकेदार को उसके उत्तराधिकारियों और प्रदाता के रूप में माना जाएगा) के एक भाग के रूप में है और अन्य भाग के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट संख्या 4-A, सैक्टर 27-बी, चंडीगढ़ के ब्यूरो में शामिल (उसके बाद यह प्रतिकूल या उसके अर्थ में, जब तक इसका मतलब यह समझा जाएगा जो अभिव्यक्ति के तौर पर ब्यूरो को उसके उत्तराधिकारियों और प्रदाता के रूप में माना जाएगा) में शामिल करने के लिए माना जाएगा। जबकि ठेकेदार एक सेवा प्रदाता है। और जबकि उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन कार्यरत ब्यूरो एक सांविधिक निकाय है। ब्यूरो \_\_\_\_\_ लेखा सेवा एवं टैक्स परामर्श सेवा, इसलिए, दिनांकित ओपन या विज्ञापित / सीमित / एकल निविदा के माध्यम से जांच बोलियां आमंत्रित की स्थापना करना चाहता है।

जबकि ठेकेदार (सफल बोलीदाता) अपनी बोली \_\_\_\_\_ प्रस्तुत बोली दस्तावेज का अवलोकन करें और सफल बोलीदाता के रूप में चयनित "बोली लगाने की प्रक्रिया का अनुसरण करना और अनुबंध की कीमतों पर बातचीत के अनुसार, "स्वीकृति पत्र" (एलओए) संख्या \_\_\_\_\_ से संविदाकार को \_\_\_\_\_ के रूप में दिया गया। साथ ही दोनों पार्टी निविदा दस्तावेज नियम और शर्तें (अनुबंध की शर्तें) "के रूप में वर्णित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

-----  
 (ठेकेदार / अधिकृत  
 प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)  
 नाम .....  
 पदनाम .....  
 पता .....  
 फ़र्म/कंपनी की सील

-----  
 (ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी के  
 हस्ताक्षर)  
 नाम .....  
 पदनाम .....  
 पता .....  
 ब्यूरो की सील

गवाही  
 .....  
 (हस्ताक्षर)  
 गवाही का नाम  
 पता .....

गवाही  
 .....  
 (हस्ताक्षर)  
 गवाही का नाम  
 पता .....

**AGREEMENT**

THIS AGREEMENT made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2021 between M/s \_\_\_\_\_ (Name and Address of the Contractor) (hereinafter referred to as the CONTRACTOR, which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the ONE PART and the **Bureau of Indian Standards, 4-A, Sector 27-B, Chandigarh** (hereinafter referred to as the BUREAU, which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the OTHER PART.

WHEREAS the Contractor is a service provider.

AND WHEREAS the Bureau is a Statutory body functioning under the Ministry of Consumer Affairs and Food & Public Distribution, Government of India. The Bureau intends to hire Accounting and Tax Consultancy Services and therefore, invited bids through Open or Advertised / Limited / Single Tender enquiry dated \_\_\_\_\_

WHEREAS the Contractor (successful bidder) submitted his bid vide \_\_\_\_\_ in accordance with the bid document and was selected as successful bidder" pursuant to the bidding process and negotiation on contract prices, awarded the "Letter of Acceptance" (LoA) No.\_\_\_\_ to the Contractor on \_\_\_\_\_.

BOTH THE PARTIES HERETO agree to abide the terms and conditions as mentioned in (Conditions of Contract) of Tender Document".

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Signature of Contractor/  
Authorized Representative)

(Signature of Authorized Officer of the Bureau)

Name \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ "

Designation \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Seal of the Firm/Company**

**Seal of the Bureau**

**Witness:**

**Witness:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Signature)

(Signature)

Name of Witness \_\_\_\_\_

Name of Witness \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_



**Annexure – VI**  
**काली-सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में घोषणा**

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फार्म/एजेंसी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के तहत किसी मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के विभाग/राज्य सरकार या पीएसयू या अन्य निकायों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है । मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/हैं कि भारत में कहीं पर भी फार्म/कम्पनी या इसके स्वामी/ भागीदारों/निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं है ।

दिनांक ..... माह ..... 2021

**बोलीदाता के हस्ताक्षर .....**

बोलीदाता का नाम एवं पता .....

.....

फर्म/कम्पनी की मुहर

**Declaration regarding black-listing and/ or litigations**

I/we hereby declare that our firm/agency is not black-listed by any Ministry or Department of Central Government/State Government or PSU or other bodies under the Central Government/State Government. I/we further declare that no criminal case is registered or pending against the firm/company or its owner/partners/directors anywhere in India.

Date the ..... day of..... 2021

**Signature of Bidder\_**

Name & Address of Bidder\_\_\_\_\_

Seal of the Firm/Company

**मूल्य सूची  
PRICE SCHEDULE**

वित्तीय बोली लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना है  
(To be submitted in Financial Bid envelope)

S.No.	Particulars	Submission Dates	Event/ Transaction	Quotation on Monthly basis	Quotation on Annual basis
1.	Bookkeeping, Accounting, Bank and Journal Vouchers, Receipts Issuing, etc.		Daily Basis		
2.	Bank Reconciliation, Income and Expenditure Report, Trial Balance, alongwith Schedules	5 <sup>TH</sup> OF Every Month	Monthly Basis		
3.	Internal and CAG Audit Replies	Within 15 days	Half Yearly Basis		
4.	TDS Demand Preparation and Return Filing	Before 5 <sup>th</sup> of Every Month	Monthly Basis		
5.	GST demand Preparation and Return Filing (GSTR1, GSTR 3B, etc.)	Before 10 <sup>th</sup> of Every Month	Monthly Basis		
6.	GSTR-9A	As per Circular of GST Deptt.	Yearly Basis		
7.	GSTR-2B and Purchase Register reconciliation	15 <sup>th</sup> of Every Month	Monthly Basis		
8.	Representation on Tax Issues (if any)		As per requirement		
9.	Tax Consultancy (Direct & Indirect)		Daily Basis		
10.	Final Accounts/Trial Balance		Yearly Basis		
11.	GST Audit (GSTR 9C) from other CA Firm		Yearly Basis		
12.	Miscellaneous Charges (including all)		NA		

\*Amount should be in round figure only.

मैंने बोली दस्तावेज़ को पढ़ लिया है और लेखांकन सेवाएं और कर परामर्श प्रदान करने के लिए सभी नियमों और शर्तों को समझ लिया है।

I have read the Bid Document and understood all the terms and conditions for providing the accounting services.

हस्ताक्षर/ Signature:

नाम/Name: \_\_\_\_\_

फ़र्म की सील / SEAL OF FIRM

DATE: